



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-08052026-272333
CG-TL-E-08052026-272333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2189]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2189]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

गुंटूर, 6 मई, 2026

का.आ .2280(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), केन्द्रीय सरकार, यह संतुष्ट होने पर कि अनुसूची में संलग्न भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, एक सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अर्थात् आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गुंटूर पश्चिम मंडल के अंतर्गत चिन्नापलकलूरु ग्राम के निकट कि.मी. 9/13-14 पर समपार सं.06 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण का अपना आशय घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गुंटूर, गुंटूर जिला, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप में अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गुंटूर जिला, आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करसकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (II) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध है तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गुंटूर पश्चिम मंडल के अंतर्गत चिन्नापलकलूरु ग्राम के निकट कि.मी. 9/13-14 पर समपार फाटक सं.06 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

क्र.सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	सर्वे संख्या	अंदाज़न क्षेत्रफल(एकड़. बीघा में)	अंदाज़न क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)	भूमि का प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति (गीली/सूखी)
1.	गुंटूर पश्चिम मंडल	चिन्नापलकलूरु	100	0.0876	355	निजी	सूखी
			106	0.0951	385	निजी	सूखी
			107	0.2841	1150	निजी	सूखी
			117	0.0111	45	निजी	सूखी
			119	0.8500	3440	सरकारी	तलाब
				Ac 1.3279 cts	5374 Sq.mtrs		

[फा. सं. GS/Gazette/20A/LC.No.06/GNT-NDKD/GNT]

के.सैमन, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Guntur, the 6th May, 2026

S.O. 2280(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No.06 at Km 9/13-14 near China Palakaluru Village of Guntur West Mandal in Guntur District of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty(30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-(D) of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Revenue Divisional Officer Guntur; Guntur District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Guntur of Guntur District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (II) of section 20-(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

Schedule

Description of lands in acquisition: Construction of Road over Bridge in lieu of level Crossing No.06 at Km 9/13-14 near china Palakaluru Village of Guntur West Mandal in Guntur District of Andhra Pradesh

SI.No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey Number	Tentative Area in Ac.Cts.	Tentative Area in Sq.Mtrs	Type of Land (Govt /Private)	Nature of the Land Wet/Dry
1	Guntur West Mandal	china Palakaluru	100	0.0876	355	Private	Dry
			106	0.0951	385	Private	Dry
			107	0.2841	1150	Private	Dry
			117	0.0111	45	Private	Dry
			119	0.8500	3440	Govt.Land	Pond
				Ac 1.3279 cts.	5374 Sq.Mtrs.		

[F. No. GS/Gazette/20A/LC.No.06/GNT-NDKD/GNT]

K.SIMON, Chief Project Manager